न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 351/2019

1. श्रवणलाल पुत्र प्रभात मीणा
2. विक्रम सिंह पुत्र श्रवणलाल मीणा
3. राजेश पुत्र श्रवणलाल मीणा
   निवासीः ग्राम किशनपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. डॉ. दीपक माथुर पुत्र गणेश नारायण माथुर
2. डॉ. संदीप माथुर पुत्र गणेश नारायण माथुर
   निवासीः बापू नगर, शिवाड एरिया, तहसील व जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर वाद संख्या 87/2016 उनवानी डॉ. दीपक व अन्य बनाम श्रवणलाल अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री आत्माराम शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री ए.के. शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांकः 25/11/2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर के वाद संख्या 87/2016 बउनवानी डॉ. दीपक व अन्य बनाम श्रवणलाल में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18.04.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के कब्जे काश्त तथा खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 184 रकबा 0.8186 चाही प्रथम मय दीगर आराजीयात के वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील विराटनगर में स्थित है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करते आ रहे है। खसरा नंबर 184 पर वादीगण को राजस्व वाद संख्या 73/07 में उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/09/ दिनांक 23.06.2009 की अनुपालना में तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 28.06.2009 को वादीगण को कब्जा दिलवाया था तथा सन् 2015 तक वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज थे। सन् 2015 में वादीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 184 ग्राम किशनपुरा के उत्तर दिशा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मवेशियों को बांधने के लिये कुछ भूमि इस शर्त के साथ ली थी कि जब भी वादीगण कहेगे तब ही वापस संभला देगे। किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आने के कारण हाल खसरा नंबर 184 के उत्तरी हिस्से को स्थायी रूप से हथियाने के उद्देश्य से वहां टीनशेड लगाना शुरू कर दिया एवं मना करने पर भी नहीं माने। प्रतिवादीगण आदतन कब्जा करने के आदी है एवं पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 श्रवण मीणा ने वादीगण की पैतृक भूमि पर पूर्व में कब्जा कर लिया था एवं न्यायालय के आदेश से वादीगण के पूर्वजो को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करके संभलाया गया था। वादीगण के निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण आराजीयात का कब्जा वापिस वादीगण नहीं संभला रहे है। इस कारण वादीगण का यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नंबर 184 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील विराटनगर पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है उस भू भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर मौके पर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे तथा अतिक्रमी भू भाग के लगान की पचास गुणा शास्ति भी प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी मुतनाजा हाल खसरा नंबर 134 रकबा 0.8186 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील विराटनगर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा करे, ना ही कोई पक्का निर्माण करे, वादीगण को शांतिपूर्वक उनकी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने देवे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 18.04.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि वादी द्वारा वाद विराधाभासी तथ्यों पर प्रस्तुत किया था। वादी एक और तो अपने वाद में यह कथन करता है कि उनको तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 23.06.2009 को कब्जा दिलवाया था, दिनांक 23.06.2009 की कब्जा देहानी रिपोर्ट वादीगण ने पेश नहीं की है, दूसरी ओर डिक्री दिनांक 01.12.2011 को पारित होने का कथन करता है तो 2009 में कैसे कब्जा दिया जा सकता है। इस कारण वर्ष 2009 में कब्जा संभलाया जाने का तथ्य अपने आप में ही गलत, झूंठा एवं असत्य साबित हो जाता है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किया कि पूर्व में ही कब्जा कर लिया था तो प्रतिवादीगण को कब बेदखल किया, वादी ने साबित ही नहीं किया एवं ना ही चौकीदार के बयान करवाये है। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2019 को वादी वाद डिक्री किये जाने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.04.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि रेस्पोडेन्ट आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण के गहन परीक्षण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पश्चात् तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.04.2019 के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–2 नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2011, प्रदर्श 3 नकल दैनिक डायरी पटवारी दिनांक 23.06.2009, प्रदर्श–4 नकल पत्थरगढी मौका फर्द, प्रदर्श–6 नकल मुकदमा 219/2016 सरकार बनाम श्रवणलाल अंतर्गत धारा 107, 116 (3) सीआर.पी.सी. के अंतर्गत व अन्य प्रदर्श से पूर्णतया साबित है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 184 पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी विवेचन करना उचित होगा कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है जो कि समय–समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो/निर्णयों से प्रमाणित है एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2011 आर.आर.डी. 508 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में भी इसी बात की पुष्टि की है। इस दृष्टि से भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत है। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत की गई जो कि अपील की परिसीमा 60 दिवस से मियाद बाहर है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में उन्हे अपीलाधीन निर्णय की नकल अभिभाषक से राय लेने के पश्चात् दिनांक 19.05.2019 को प्राप्त होना बताया गया जिससे भी परिसीमा 60 दिवस अर्थात दिनांक 19.07.2019 को समाप्त हो जाती है एवं अपील दिनांक 29.07.2019 को प्रस्तुत हुई है। इस समयावधि के दौरान अपीलान्ट द्वारा स्वयं को वायरल बुखार से पीडित होना बताया है किन्तु इस बाबत कोई ठोस प्रमाण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और अपीलार्थीगण तीन व्यक्ति है जिसमे से कौनसा व्यक्ति वायरल से पीडित रहा, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यहां यदि यह मान भी लिया जावे कि एक व्यक्ति वायरल से पीडित था तो अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य निराधार पाये जाते है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2019 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर